उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-09/2018/433/94-स्टा०नि०-2-2018-700(102)/2018

लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तारीकरण एवं उससे सम्बन्धित प्रयोजन के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में अन्तरित भूमि की 'लिखत' पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-09/2018/433/94-स्टा0नि0-2-2018-700(102)/2018,दिनांक 23 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 23-04-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2018/433/94-स्टा0नि0-2-2018-700(102)/2018,दिनांक 23 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) **अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।**
(5) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(11) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
(12) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(14) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(15) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no 09/2018/433/94-S.R.-2-2018-700 (102)/2018, Dated, 23 April, 2018

Notification

Order

No.- 09/2018/433/94-S.R.-2-2018-700 (102)/2018

Lucknow Dated, 23 April, 2018

In exercise of the power under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on the instrument of the land transferred by Indian Airport Authority in favour of Lucknow Development Authority to extend the runway of Chaudhari Charan Singh International Airport and purpose related therewith.

By order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।